डीजी-परिपत्र संख्या- 19/2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरप्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः जुलाई 25, 2017

विषय : पुलिस कर्मियों के जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि नागरिकों के बीच पुलिस की स्वच्छ छवि एवं विश्वनीयता पर हमारी पूरी कार्यप्रणाली आधारित है। जब तक हमारे थानों की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा तब तक हम आदर्श पुलिसिंग को यथार्थ के धरातल पर नहीं उतार सकतें। हमें सबसे पहले थानों पर आम आदमी के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। विनम्रता और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता एवं मर्यादित आचरण प्रदर्शित किये बिना किसी भी प्रकार की सार्थक पुलिसिंग सम्भव नही हैं। थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर आने वाले हर जरूरतमंद के दुखदर्द एवं पीड़ा को धैर्य एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना एवं पीड़ा के निवारणार्थ प्रयास करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और यहीं से पुलिस की विश्वनीयता की शुरूवात होती है। पुलिस के मर्यादित आचरण हेतु समय-समय पर निर्देश दियें गये हैं।

आप सहमत होगें कि पुलिस एक अनुशासित बल है तथा इसकी कार्यप्रणाली अन्य विभागों से अलग है। पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना एवं समाज में शांति बनाये रखना है। पुलिस बल की जनता में अलग पहचान है, यदि पुलिस जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार नहीं करेगी तो जनता में पुलिस के प्रति गलत धारणा बनेगी। पुलिस की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता में उसकी स्वीकार्यता हो तथा जनता पुलिस को अपना सहयोगी एवं मददगार समझे। पुलिस के लिए नितान्त आवश्यक है कि वह स्वयं लोगों के मान-सम्मान को ठेस न पहुँचाये तथा उन्हे महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होने का एहसास कराये।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार के बिन्दु निम्नवत अनुपालनार्थ प्रेषित हैं :-

- पुलिस कर्मियों को जनता के साथ किस प्रकार का मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, इसका निचले स्तर तक सम्यक् ज्ञान होना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस कर्मियों को निकटता से प्रशिक्षित किया जाये।
- पुलिस के मर्यादित आचरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण मुख्यालय से "पुलिस आचरण - 2015" की पुस्तिका एवं "पुलिस प्रशिक्षण के सिद्धान्त" के पम्पलेट्स आप सभी को प्रेषित किये गये थे। जनपद में नियुक्त पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराये तथा उन्हे सामान्य नागरिकों के साथ मर्यादित व्यवहार करने हेतु लगातार प्रशिक्षित किया जाये।
- आवश्यकतानुसार "पुलिस आचरण - 2015" की पुस्तिका को पर्याप्त संख्या में छपवाकर थाने स्तर तक भेजा जाये ताकि थाने स्तर पर नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी हो सके।

- जनपद में नियुक्त राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का दो चरणों में जनता के साथ मर्यादित आचरण किये जाने विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करायी जाये। प्रथम चरण में पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाये। द्वितीय चरण में मुख्य आरक्षी/आरक्षी पद के कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराया जाये।
- पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु स्थानीय विषय विशेषज्ञों की भी सेवायें प्राप्त की जायें। उनसे जनता के साथ पुलिस द्वारा सद्व्यवहार सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान का प्रबन्ध करायें।
- जनपद में सी0ई0आर0 का प्रशिक्षण नियमित रूप से कराया जाये। प्रशिक्षण में जनता के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किये जाये इस विषय पर भी प्रशिक्षण दिया जाये।
- जनपद के थानों में जनसामान्य के साथ अपेक्षित मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार किये जाने सम्बन्धी बोर्ड लगाये जाये।

मैं चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए आप अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में जन-सामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार करें, जिससे पुलिस की छवि जन-मानस में अच्छी बनी रहे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।